...OFFICER, CHANDRAPURA (BOKARO)

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चन्द्रपुरा (बोकारो)

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक 1943 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख ..... से .....तक

अंचल– चन्द्रपुरा,

वाद सं0 ....01..... 2017–18 जिला– बोकारो

केश का प्रकार – अतिक्रमण

तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
11-5-17	प्रश्न के दौरान पाया गया कि श्री दिनेश खानी पिता - कृष्ण खानी साः-ग्रा० पोः-पाल - चन्द्रपुरा (बोकारो) के द्वारा मौजा - सिपाहीटांड़ थाना - खे० 107 खाता खे० - 47 प्लाट सं० - 405 रकबा लगभग 0.10 डि० जो गैर मजरूआ खास खाते की भूमि है पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। अतः अधिकारी को सूचना निर्गत कर एकतरफा मूल कागजात के साथ/ सहायित कागजात के साथ दिनांक 18/5/17 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने की सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 18/5/17 को रखें। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा	
18/5/17	श्री अर्जुन खानी की ओर से एक आवेदन दिया गया है कि श्री दिनेश कुमार खानी पिता श्री नित्यानन्द खानी के द्वारा भूमि पर बिना भू-परिवर्तन किये। धारा 144 का निदेश के तथा मुख्य अभियुक्त श्री ① श्री मनोज कुमार उर्फ मनोज चंद्र तथा मुख्य ~~अभियुक्त~~ श्री विनोद कुमार उर्फ विनोद चंद्र दोनों पिता - स्व० गौर चन्द्र साः न्यू सिपाहीटांड़ थाना खे० पोः-थाना चन्द्रपुरा बोकारो के भी विरुद्ध निर्गत करें।	

Digitally signed by Naresh Kumar Verma
Date: 2025.04.17 17:01:36 +05:30
Location: 192.168.1.41

Scanned with OKEN Scanner